न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि., पाली (अतिरिक्त कार्य क्षेत्र- सिरोही)

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. श्री दायालाल दवे पुत्र श्री श्री नेमीचन्द दवे,
   अध्यक्ष एवं विक्रेता, गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज, तहसील-रेवदर, जिला-सिरोही

प्रकरण संख्या: 10/2018

''जुर्म अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, प्रतिवादी अभियुक्त

-: निर्णय :- **दिनांक 14 नवम्बर, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.8.2017 को समय 11.00 ए.एम. पर मैसर्स गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही पर पँहुचा। वहां पर दायालाल दवे पुत्र श्री नेमीचन्द दवे को दूध की बिक्री करते हुये पाया। मैनें अपना परिचय पत्र दिखाया व दूध विक्रेता से पूछने पर मालिक (विक्रेता) होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता दायालाल की उपस्थिति में डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि दूध के टैकर में लगभग 610 लीटर मिक्स दूध भरा हुआ था, जिसको आम जन को बिक्री हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि मिक्स दूध के दूध का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु ले रहा हूँ। प्रपत्र 5ए की असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/मालिक एवं गवाहान की उपस्थिति में एक मिक्सर से मिक्स दूध को हिला मिला कर एक रुप कर दो लीटर मिक्स दूध वास्ते नमूना जांच क्रय कर एक साफ, सूखी व खाली स्टील की भगोनी में लिया। जिसकी कीमत राशि रुपये 70/- विक्रेता को नकद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता/मालिक व गवाहान के हस्ताक्षर है, जो मूल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली शीशी दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिक्स दूध को चार बराबर-बराबर भागों में बांट कर चारों साफ सूखी एवं खाली शीशी में डाला एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फॉर्मेलीन

.....दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

की डाली एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-746, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना शीशी को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना शीशी पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-746 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अपने जाब्ते/कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। उक्त समस्त कार्यवाही मैनें गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। उसके बाद आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना शीशी को सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफावे में बन्द कर लिफावे को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.8.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 18.8.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र दिनांक 18.12.2017 के संलग्न खाद्य विशलेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/770/एक्ट/2017/771 दिनांक 05.9.2017 प्राप्त हुई तो यह ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया मिक्स दूध का नमूना S-746 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त श्री दायालाल दवे, विक्रेता, गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज ने अमानक स्तर (Sub-standard) मिक्स दूध का विक्रय करके इस अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान

.....तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 14.11.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त के अधिवक्त की बहस सुनी गई, जिन्होनें प्रतिवादी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि मैसर्स गुलाबगंज दूध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज दूध की किसी प्रकार खुली बिक्री नही करता है। उक्त सहकारी समिति द्वारा बनास डेयरी में दूध भरवाया जाता है तथा बनास डेयरी द्वारा दूध की गुणवत्ता की जांच के बाद ही दूध लिया जाता है। उक्त दूध में किसी प्रकार की कोइ मिलावट करने का प्रश्न ही नही होता है, क्योंकि दूध की खुली बिक्री नही की जाती है। आवेदक ने परिवाद में प्रतिवादी दायालाल को गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज का मालिक व विक्रेता होना बताया है, जबकि प्रतिवादी दायालाल गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबंज का अध्यक्ष है जो समिति के अध्यक्ष के नाते दूध संग्रहण केन्द्र पर बैठा हुआ था, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आकर दूध का सेम्पल लिया है। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि टैकर में रखा हुआ 610 लीटर दूध आम लोगों के बिक्री के लिये नही रखा गया था बल्कि दूध बनास डेयरी में भेजने हेतु टैकर खडा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त बात बताने के बावजूद भी उनके द्वारा गलत रुप से सेम्पल लिया गया है। सहकारी समिति द्वारा दूध उत्पादककर्ता व्यक्तियों से शुद्ध दूध जो गाय या भैस द्वारा दिया जाता है उसी अवस्था में प्राप्त किया जाता है और उसे संग्रहण कर बनास डेयरी को भेजा जाता है। बनास डेयरी से प्राप्त होने वाला भुगतान सहकारी समिति द्वारा दूध उत्पादकर्ता को किया जाता है। प्रतिवादी दायालाल केवल मात्र समिति का अध्यक्ष है जो न तो दूध का उत्पादन करता है व न ही दूध का खुले बाजार में विक्रय करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को केवल उसी दूध का सेम्पल नेले का अधिकारी था जो खुलेबाजार में दूध बेचते हो। बनास डेयरी द्वारा समिति से दूध सप्लाई का इकरार किया हुआ है और समिति द्वारा दूध गांव के लोगों से संग्रहण कर बनास डेयरी को उपलब्ध करवाया जाता है, इसलिये प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.8.2017 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गुलाबगंज. दूध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर गये, वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री दायालाल दवे पुत्र श्री नेमीचन्द दवे उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समिति डेयरी का निरीक्षण करने पर दूध के टैंकर में लगभग 610 लीटर मिक्स दूध भरा हुआ था जो आम जन के बिक्री हेतु सप्लाई के लिये रखा हुआ था। उक्त मिक्स दूध में मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना

.....चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाहान के समक्ष विक्रेता दायालाल को भरकर दी एवं प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में एक मिक्सर से मिक्स दूध को हिला मिला कर एक रुप कर दो लीटर मिक्स दूध वास्ते नमूना जांच क्रय कर एक साफ सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में लिया जिसकी कीमत विक्रेता दायालाल को राशि रुपये 70/- (अक्षरे रुपये सत्तर मात्र) अदा कर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए व दूध खरीद रसीद बिल पर विक्रेता दायालाल एवं गवाह श्री विशाल सिंह पुत्र श्री मदनसिंह, जाति- राजपूत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही व गवाह श्री उनाराम पुत्र हरजी जी, जाति- चौधरी, निवासी- गुलाबगंज तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं उक्त गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली शीशी दिखाकर उक्त क्रय शुदा मिक्स दूध को चार बराबर-बराबर भागों में करके चारों साफ सूखी एवं खाली शीशीयों में डाला एवं प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों नमूना शीशीयों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-746, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विकेता दायालाल एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-746 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता दायालाल व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता दायालाल, उक्त गवाहों एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, मिक्स दूध कय करने का बिल/रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत गुलाबगंज दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज में विक्रेता/समिति अध्यक्ष दायालाल से मिक्स दूध का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर-6 की दो प्रतियां एक लिफावे में अलग

....पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

से बन्द कर गोंद से चिपकाकर नमूना के चारों भागों व लिफाफे को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.8.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.8.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त मिक्स दूध के नमूना S-746 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./770/Act/2017/771 दिनांक 05.9.2017 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज में विक्रेता/समिति अध्यक्ष श्री दायालाल दवे पुत्र श्री नेमीचन्द दवे से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया मिक्स दूध का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज में समिति अध्यक्ष/विक्रेता श्री दायालाल द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का मिक्स दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2017/5314-16 दिनांक 18.12.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 05.9.2017 की प्रतिवादी अभियुक्त दायालाल को प्रेषित कर सूचित किया गया है कि उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अन्दर प्रस्तुत करे, लेकिन अपील हतु आवेदन प्रस्तुत नही किया।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी श्री दायालाल दवे पुत्र श्री नेमीचन्द दवे, अध्यक्ष, गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबगंज को आदेशित किया जाता है कि गुलाबगंज दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति, गुलाबंज पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा...सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया.

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही